

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 541]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर 2014—अग्रहायण 5, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-75-2014-1-पांच (57).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-195-2005-1-पांच (25), दिनांक 31 मार्च, 2006, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्—

“ 12-क. सिगरेट ”.

2. यह संशोधन दिनांक 26 नवम्बर, 2014 से प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-75-2014-1-पांच (57).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक, क्रमांक एफ ए-3-75-2014-1-पांच (57), दिनांक 26 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 26th November 2014

No. F-A-3-75-2014-1-V (57).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. A-3-195-2005-1-V(25), dated 31st March, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, after serial number 12, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“12-A. Cigarette.”.

2. This amendment shall come into force with effect from 26th November 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.